

उत्तराखण्ड शासन
श्रम एवं सेवायोजन वेभाग

संख्या: /VIII/13-228(श्रम)/2001
देहरादून, दिनांक: 06 मार्च, 2013

अधिसूचना

उत्तराखण्ड न्यूनतम घटने अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 11 सन् 1948) की धारा 2 की उपधारा (i) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और उपधारा (2) एवं उपधारा (3) की अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचना संख्या: 622(1)/VIII/228-श्रम श्रेणी-III/2001, दिनांक 10 मई 2005 को अधिक्रमित करते हुए, अधिसूचना संख्या: 337/VIII/12-228 (श्रम)/2001, दिनांक 06 अगस्त 2012 द्वारा प्रकाशित प्रस्तावों के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर सत्य सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् सम्यक् विचारोपरान्त, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से परिशिष्ट-1 में उल्लिखित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित कर निम्नवत् निर्धारित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. विभिन्न वर्ग के कार्य के लिए नियोजित वयस्क कर्मचारियों को देय मूल मजदूरी की न्यूनतम दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (2001=100) के 203 अंक पर निम्नवत् होगी:-

क्रमांक	कर्मचारियों की श्रेणी	देय मूल मजदूरी की न्यूनतम मासिक दरें
1	2	3
		रूपये प्रतिमाह
1	अकुशल	4980
2	अर्द्धकुशल	5445
3	कुशल	5915
4	लिपिक वर्गीय कर्मचारी	
	(क) श्रेणी-एक	6690
	(ख) श्रेणी-दो	6110

टिप्पणी- कर्मचारियों का श्रेणीवार वर्गीकरण परिशिष्ट-2 में दिया गया है।

2. परिवर्तनीय महंगाई भत्ता:-

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2001=100) के अंक 203 के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर महंगाई भत्ते को रू० 20 प्रति अंक की दर से समायोजित किया जायेगा और समायोजन क्रमशः प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में पूर्ववर्ती वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक और चालू वर्ष के जनवरी से जून माह तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर करते हुए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

3. मजदूरी की दैनिक दर, उपरोक्त मासिक न्यूनतम मूल मजदूरी दर और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के 1/26 से कम न होगी।

4. घंटेवार दर, दैनिक दर के 1/6 से कम न होगी।

5. ऐसे कर्मचारियों को जिनके कार्य के घंटे (विश्राम अन्तराल को सम्मिलित करते हुए) एक दिन में 6 घंटे या एक सप्ताह में 36 घंटे से कम हैं तो उन्हें अंशकालिक कर्मचारी माना जायेगा और उनकी घंटेवार मजदूरी की दर तदनुसार दैनिक दर के छठे भाग से कम न होगी।

6. मजदूरी की उपर्युक्त दरें किसी भी प्रकार से किसी कर्मचारी के हितों के प्रतिकूल प्रवर्तित नहीं होगी। यदि इन दरों के प्रवृत्त होने के पूर्व विद्यमान मजदूरी की दरें उपर्युक्त दरों से अनुसार देय मजदूरी से अधिक हैं तो उन्हें जारी रखा जायेगा और किसी भी स्थिति में किसी नियोजक द्वारा उन में कटौती नहीं की जायेगी।

OR

7. कर्मचारियों का कार्य मात्रानुपाती दर के आधार पर किया जाता है, वहाँ उस विशिष्ट प्रकार के कार्य के लिए विशेष मात्रानुपाती दर प्रत्याभूत मात्रानुपाती दर होगी अर्थात् नियोजक, मात्रानुपाती दर पर कार्य कर रहे कर्मचारियों का एसी नजदूरी देगा जो न्यूनतम कालानुपाती दर से कम न हो।
8. ऊपर दी गयी मजदूरी की न्यूनतम दर के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन यथा अनुध्यात विश्राम दिन के सम्बन्ध में पारिश्रमिक भी सम्मिलित है।
9. यदि नियोजक द्वारा प्रतिष्ठान का कोई कार्य ठेका श्रम के माध्यम से कराया जा रहा है, तो ऐसे ठेका श्रमिक को भी नियोजक द्वारा सीधे नियोजित श्रमिक की तरह (बराबर/समान) इस अधिसूचना के पैरा 1 और पैरा 2 में अनुमन्य निर्धारित न्यूनतम मजदूरी तथा परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।
10. किशोरों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम कालानुपाती दर, उसी श्रेणी के वयस्क कर्मचारी पर प्रयोज्य कालानुपाती दर से कम न होगी।

परिशिष्ट-1

क्रम संख्या	नियोजनों के नाम
1	सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने या निर्माण संक्रियाओं में नियोजन।
2	पत्थर तोड़ने या पत्थर कूटने में नियोजन।
3	चिकन के कार्य में नियोजन।
4	दियासलाई उद्योग में नियोजन।
5	आइसकैन्डी/आइसक्रीम विनिर्माणशालाओं में नियोजन।
6	बेकरी और बिस्कुट विनिर्माणशालाओं में नियोजन।
7	बर्फ विनिर्माणशालाओं में नियोजन।
8	एस्बेस्टस सीमेंट कारखानों और अन्य सीमेंट उत्पाद विनिर्माणशालाओं में नियोजन।
9	लाण्ड्री या धुलाई अधिष्ठानों में नियोजन।
10	जिल्दसाजी में नियोजन।
11	कोल्ड स्टोरेज में नियोजन।
12	पाटरी सिरेमिक्स या रिफरैक्ट्रीज में नियोजन।

परिशिष्ट-2

1. अकुशल

फायर मैन (साधारण भट्टी), स्लिप हाउस वर्कर, फिटर (प्रोसेसिंग और लिंगिंग को सम्मिलित करते हुए), ग्लेजर (डिपिंग क्रिया द्वारा) टैग, भट्ठे और अन्य सामान के लोडर और अनलोडर, चौकीदार, चपरासी, रवीषर, स्क्रेपर, हैल्वर, मजदूर, जैली और डाई प्रेस वर्कर्स, सार्टर, स्टाम्प मार्कर, प्लेजर, सीव अटेन्डेन्ट, एजीटेटर, भित्तर, सिलेन्डर मजदूर, पल्वीराइजर, अटेन्डेन्ट, पम्प अटेन्डेन्ट, मोल्ड मेकर, ट्रक क्लीनर, ट्रालीलोडर, अनलोडर, वाटरमैन, ब्रिक प्रेस अटेन्डेन्ट, हाथ से ड्रायर अटेन्डेन्ट, ब्लोअर अटेन्डेन्ट, स्टोन ब्रेकिंग एण्ड क्राशिंग अटेन्डेन्ट, ब्रिक टाइल्स प्रेस अटेन्डेन्ट, स्टोरवेयर पाइप प्रेस अटेन्डेन्ट, स्टोरवेयर पाइप अटेन्डेन्ट, मेट ट्रेनी, फिनिशर और कास्टर, कनवेयर कास्टर, गेट मैन, हैंडिल मैन, भेकर कुली, वाचमैन, कैश प्यून, स्टोर काउन्टर ब्वाय और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

2. अर्द्धकुशल

प्रेस मैन, घोबी, मशीन मैन, दर्जी, सहायक सुपरवाइजर, सहायक मिस्त्री, पाटर, कार्टिंग प्रोसेज पर थ्रो करके बर्तन बनाने वाले, कास्टर और फिनिशिंग, फायरमैन (टनल फरनेस), हैड फायरमैन (साधारण भट्टी), कलर स्प्रेयर (इसमें स्प्रे द्वारा ग्लेजिंग भी सम्मिलित है), सहायक खरादी, समरमैन, जारमैन, जिगरमैन, ज्वाइजर, आयरमैन, सगर मेकर, सहायक डाई फिटर, सहायक राजगीर, सहायक बढई, वायरमैन, कास्टर लेशर पालिशर, ग्राहन्डर, ब्लाक मेकर, सिलेन्डर अटेन्डेन्ट, हैमर मैन, सहायक पेन्टर, बिस्कुट पैकिंग करने वाला, पैकर, सहायक

